कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॅारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-2767611

पत्रांक:- 2232

/ FP/UK/ROAD/145620/2021 दिनॉक:देहरादून

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25—सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:— जनपद चमोली में आलयू से चलियापानी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.383 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 07.01.2022

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 07.01.2022 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी का 1999/12–1 दिनांक 07–03–2022 से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

	पता रुजरा क्षारा प्रापत विष्युपार सूचना निमा प्रकार	
क्र0सं0	प्रश्न	चत्तर
	On perusal of KML file it is noticed that village is already connected from the road. If the connectivity is required deep inside the village, the same can be proposed from nearby existing road instead of proposing new road from the dense forest area with proposed felling of 142 trees of important species. State govt. may submit clarification in this regard and submit revised proposal accordingly.	प्रस्तावक विभाग द्वारा मोटर मार्ग का निर्माण ग्राम आलयू से चिलयापानी तक किया जाना है, चिलयापानी नामक स्थान मोटर मार्ग नारायण बगड—परखाल—चोपता पर स्थिर है जो कि MRL (Major Road Link) की श्रेणी में है तथा दूसरा मोटर मार्ग रखाल नामक स्थान में ग्राम डुंग्री होते हुए ग्राम आलयू तक जाता है, इस मोटर मार्ग के End point से ग्राम आलयू की दूरी लगभग 500 मी0 है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण का उद्देश्य नजदीकी Existing Road के End point को ग्राम आलयू होते हुए चिलयापानी नामक स्थान (नारायण बगड़ परखाल—चौपता मोटर मार्ग से जोडना है क्योंकि यह मार्ग आगे जाकर NH-58 से जुड़ता है व इससे ग्राम आलयू की महत्वपूर्ण स्थलों जैसे जिला मुख्यालय चमोली, राजधानी देहरादून की दूरी कम हो जायेगी। वहीं अगर ग्राम आलूय को नजदीकी Existing Road से जोड़ा जाता है तो ऐसा होने से ग्राम
2	State govt. is requested to submit the path distance from the starting point of village to the nearest existing road.	आलयू की महत्वपूर्ण स्थलों से दूरी लगभग 50—60 कि0मी0 अधिक हो जायेगी। उक्त प्रस्ताव का गठन Existing Road के End Point को ग्राम आलयू होते हुए चिलयापानी नामक स्थान (मोटर मार्ग नारायण बगड़ परखाल चोपता) को जोड़ने हेतु किया गया है। उक्त के कम में अवगत कराया गया है कि ग्राम आलयू की नजदीकी Existing Road के End point से पैदल दूरी 500 मी0 है।

3	State Govt. is requested to submit the path	
	distance from the starting point of village to the nearest existing road.	उक्त के कम में अवगत कराया गया है कि न्जदीकी Existing Road से वैकल्पिक मार्ग के स्थिति जियोरेफरेन्स मैप में दर्शा दी गयी है।
4	The proceedings of sub-divisional level committee (SDLC) meeting uploaded online is not properly scanned. State govt. may upload the properly scanned copy of the SDLC meeting proceedings.	उक्त के कम में अवगत कराया गया है कि Sub- Divisional Level Committee (SDLC) की प्रति को भली भांति स्कैन कर अपलोड कर दिया गया है।
5	As per the DSS analysis of the CA area proposed in civil soyam land, 3 ha. Area found in MDF. DFO may inspect the area submit site inspection report or a certificate mentioning if 1000 trees per ha. Can be accomondated or not. If not, then the plantation scheme as per guidelines dt. 08-11-2017 may be submitted. State govt. may submit the DGPS map, shape file of the area for afforestation in the civil soyam land identified for raising compensatory afforestation.	प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट यथास्थान अपलोड कर दी गयी है।
6	It is seen that the name of CA area is not mentioned in CA maps. State govt. may upload the maps of the CA area mentioning the name of the CA area.	उक्त के कम में अवगत कराया गया है कि CA map में वृक्षारोपण स्थल (डुंग्री सिविल) के नाम का उल्लेख कर अपलोड कर दिया गया है।
7	Density mentioned is 0.3 for 142 trees in 1.383 ha area. Appears less, State govt. may clarify and provide the correct information in this regard.	उक्त के कम में अवगत कराया गया है कि टंकण की त्रुटिवश क्षेत्र का घनत्व 0.3 हो गया, जबकि क्षेत्र का घनत्व 0.4—0.5 है। संशोधित एन०पी०वी० की आंकलन शीट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
8	Name of CA area is not mentioned in CA scheme in part II. State govt. mentioning the name of the CA area.	उक्त के कम में अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्राक्कलन में स्थल का नाम उल्लेख कर दिया गया है।
9	It is seen that plantation schemes of Rs. 2,76,600.00 and Rs. 32,19,977.00 prepared other than CA uploaded online. State govt. is requested to propose the estimate for CA only as per the guideline.	उक्त के कम में अवगत कराया गया है कि संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्नः यथोपरि।

> (डा० फूमिल जोशी) अपर प्रमुख वर्न संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

पत्रांक २२८२ / FP/UK/ROAD/145620/2021 / दिनांकित। प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी का 1999/12—1 दिनांक 07—03—2022 के कम में। 2. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Rohit PD Backup: